


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

रामप्रसाद पिता हजारीलाल बत्ताई नि. पण्डेर

बनाम

मदनलाल पिता नन्दलाल भाट नि. पण्डेर वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 547/2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	न्यायालय की कार्यवाही की तारीख के अंगे हुए
11.11.21	<p>प्रार्थना पत्र प्रशासन गोंवों के संग अभियान में पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 5953, 5955/2, 5994/5954 कुल कित्ता 3 रकबा 1.10 बीघा स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। उन्हें सीमा बिन्दु की पुख्ता जानकारी नहीं होने से आये दिन हंकाई बुआई कटाई के समय अनावश्यक विवाद होता रहता है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बन्ध 2072 से 2075 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की है। पडोसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 वाले रे एकट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम पण्डेर प. ह. पण्डेर तहसील जहाजपुर में स्थित आ.न. 5953, 5955/2, 5994/5954 कुल कित्ता 3 रकबा 1.10 बीघा की बसामलाल पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु मू. अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर कीस 500- रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 11.11.2021 को सुते न्यायालय में सुभाषित गया।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा) </p>	